संख्या : 564 / IV(1)/2009–73(कुम्भ) / 20

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 23 जून, 200

विषय: आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत हरिद्वार में पुरानी आपूर्ति धारा के बायें किनारे सर्वानंद घाट के सामने घाट का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृ के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 783 / कु.मे. / उ0ख0गं0न0 / घाट निर्माण दिन 08.12.2008 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यधा उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु. 475.66 लाख के तकनी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु. 472.88 लाख (रुपये चार करोड़ बहत्तर लाख अठासी हजार मात्र) प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009–10 में रु. 250.00 लाख (रु. दो करोड़ पचास ल मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृ प्रदान करते है :–

1. उक्त कार्य की इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा नहीं किया जायेगा।
2. कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत विभागीय समिति की बैठक दिनांक 03–02–2009 में लिये ग निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जा पर ही दूसरी एवं अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दो बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरि धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथ आवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाय।
6. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
8. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
9. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य स सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
10. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 प्राविधानों का पालन कड़ाई से किया जाय।
11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लि जाय तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
12. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
13. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475 / XXXVII (7) / 2008 दिनांक 15 दिसम्ब 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ल जाएगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य व वित्तीय / भौतिक प्रगति की विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दि जाएगा।

15. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

16. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

17. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV –219/ 2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

18. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा। आहरण करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि कुम्भ 2010 के कार्यों हेतु पी. एल.ए. में धनराशि अवशेष नही है।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के 'अनुदान संख्या–13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं: 988/XXVII(2)/2009 दिनांक: 18 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या :564 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक। 23/6/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को आगणन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।